प्रारंभिक परीक्षा

2024 में मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय(एससी) ने 2024 में लगातार दूसरे साल एक भी मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।

मृत्युदंड और "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" सिद्धांत -

- **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि मृत्युदंड केवल "दुर्लभतम" मामलों में ही लगाया जाना चाहिए।**
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मृत्युदंड अपराध से जुड़ी गंभीर और दंड कम करने वाली दोनों परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही दिया जाना चाहिए।
- **गंभीर परिस्थितियाँ (ऐसे कारक जो मृत्युदंड का कारण बन सकते हैं):**
    - **पूर्व नियोजित हत्या**: यदि अपराध सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो तथा अत्यंत क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया हो।
    - **असाधारण भ्रष्टता**: यदि हत्या में असाधारण क्रूरता सम्मिलित हो।
    - **लोक सेवकों की हत्या:** यदि पीड़ित लोक सेवक या सशस्त्र बलों में कार्यरत कोई व्यक्ति है, और अपराध कर्तव्य निर्वहन के दौरान घटित होता है।
- **दंड कम करने वाली परिस्थितियाँ (ऐसे कारक जो सजा को कम कर सकते हैं):**
    - **अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति**: यदि अभियुक्त अपराध के दौरान गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव कर रहा था।
    - **अभियुक्त की आयु**: बहुत कम उम्र या अधिक उम्र के अभियुक्तों को मृत्युदंड से छूट दी जा सकती है।
    - **समाज के लिए खतरा**: क्या अभियुक्त समाज के लिए लगातार खतरा पैदा करता है।
    - **सुधार की संभावना**: यदि अभियुक्त के सुधार की उचित आशा हो।
    - **दबाव में की गई कार्रवाई:** यदि अभियुक्त को अन्य लोगों द्वारा अपराध करने के लिए मजबूर किया गया हो।

गंभीर और दंड कम करने वालें कारकों की विकसित होती व्याख्याएँ

- **आयु एक कारक के रूप में**: पिछले निर्णयों में, जैसे कि रामनरेश एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) तथा रमेश बनाम राजस्थान राज्य (2011), सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की कम आयु (30 वर्ष से कम) को एक कारक के रूप में माना था, जो यह सुझाव देता था कि उनमें सुधार किया जा सकता है।
    - आर.जी. कर मामले में अभियुक्त की आयु 35 वर्ष है, जिसे ऐसी आयु माना जाता है जिसमें सुधार अभी भी संभव है, लेकिन इसे अपराध को कम करने वाला कारक नहीं माना जा सकता।
- **अपराध की प्रकृति**: सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए समान अपराध वाले अन्य मामलों से इस मामले की तुलना करने पर जोर दिया है।
    - मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए समाज की सामूहिक अंतरात्मा पर विचार किया था कि क्या कोई अपराध इतना सदमा देने वाला है कि उसके लिए मृत्युदंड दिया जा सके।
- **सुधार की संभावना**: बचन सिंह मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि मृत्युदंड देने से पहले यह स्पष्ट सबूत होना चाहिए कि अभियुक्त सुधार की स्थिति में नहीं है।

सज़ा प्रक्रिया सुधार (मनोज केस, 2022 और अन्य निर्णय)

- **मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अदालतों को **अभियुक्त की पृष्ठभूमि पर रिपोर्टों पर विचार करना चाहिए**, जिसमें शामिल हैं:
    - मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन।
    - जेल आचरण रिपोर्ट।
    - पारिवारिक एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि।
    - पुनर्वास की संभावना।

मृत्यु दंड के आँकड़े – 2024

- **सर्वोच्च न्यायालय - कुल सुने गए मामले**: **6**
    - **5 मृत्यु दंड को** आजीवन कारावास में बदला गया और **1 को बरी किया गया**।
- **उच्च न्यायालय - कुल मृत्युदंड के मामले तय: 87**
    - पुष्टि की गई मौत की सज़ा: 9 (2019 के बाद से सबसे अधिक, जब 26 की पुष्टि की गई थी)।
    - आजीवन कारावास में रूपांतरण: 79
    - बरी: 49
    - ट्रायल कोर्ट में वापस भेजे गए मामले: 1
- **ट्रायल कोर्ट:** 2024 में सुनाई गई कुल मौत की सज़ा: 139
    - हत्या के मामले: 87 (62%)
    - यौन अपराध से जुड़ी हत्याएं: 35 (25%)
- **2024 में सबसे अधिक मृत्युदंड देने वाले शीर्ष 3 राज्य:** उत्तर प्रदेश: 34, केरल: 20 और पश्चिम बंगाल: 18।
- **2024 के अंत तक मृत्युदंड की सजा पाए कुल कैदी**: **564 (2000** के बाद से उच्चतम)।

स्रोत: **Indian Express - No death penalty**

ला नीना के कारण तापमान में कमी क्यों नहीं आई?

संदर्भ

कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) ने बताया कि **जनवरी 2025 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म जनवरी थी।**

ला नीना क्या है?

- **ला नीना अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) के तीन चरणों में से एक है, जो एक जलवायु घटना है जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है।**
- **ENSO के चरण:**
    - **तटस्थ चरण**
        - पूर्वी प्रशांत महासागर (दक्षिण अमेरिका के पास) पश्चिमी प्रशांत महासागर (इंडोनेशिया के पास) की तुलना में ठंडा हो जाता है।
        - व्यापारिक हवाएं सतह के गर्म पानी को इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं, जिससे नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है।
    - **अल नीनो (गर्म चरण)**
        - व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे इंडोनेशिया की ओर गर्म पानी का प्रवाह कम हो जाता है।
        - परिणामस्वरूप, **पूर्वी प्रशांत महासागर सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है।**
        - इससे सामान्यतः **वैश्विक तापमान में वृद्धि** होती है।
    - **ला नीना (शीत चरण)**
        - व्यापारिक हवाएं अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं तथा अधिक मात्रा में गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं।
        - इसके कारण **पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है।**
        - इसके परिणामस्वरूप सामान्यतः **वैश्विक तापमान कम होता है।**
- **ला नीना का तापमान पर सामान्य प्रभाव**
    - **अल नीनो वैश्विक तापमान बढ़ाता है, जबकि ला नीना उसे ठंडा करता है।**
    - हालाँकि, क्षेत्रीय प्रभाव अलग-अलग होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में गर्मी और ठंड दोनों का अनुभव हो सकता है।

जनवरी 2025 में ला नीना के कारण तापमान ठंडा क्यों नहीं हुआ?

- **कमजोर ला नीना विकास:** सभी ला नीना चरणों की तीव्रता समान नहीं होती है।
    - वर्तमान में चल रहा ला नीना चक्र कमजोर है, जिससे इसका समग्र शीतलन प्रभाव कम हो जाता है।
- **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में वृद्धि:**
    - ला नीना के बावजूद, वायुमंडलीय कार्बन में वृद्धि की दर 2024 और जनवरी 2025 में उच्च बनी रही।
    - सामान्यतः, एक मजबूत ला नीना अधिक वर्षा लाता है, जिससे पौधों की वृद्धि में वृद्धि होती है।
        - अधिक पौधों की वृद्धि का मतलब है अधिक कार्बन अवशोषण, जिससे गर्मी को रोकने वाली गैसों में कमी आएगी।
        - हालाँकि, इस बार यह प्रभाव पर्याप्त मजबूत नहीं था।
- **एरोसोल सांद्रता में गिरावट:**
    - एरोसोल (वायुमंडल में निलंबित कण) का शीतलन प्रभाव इस प्रकार होता है:
        - सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस बिखेरना।

    - बादल निर्माण को प्रभावित करना, जो इस बात को प्रभावित करता है कि कितना सूर्य का प्रकाश अवशोषित या परावर्तित होता है।
- कुछ क्षेत्रों में स्वच्छ वायु नीतियों के कारण एरोसोल सांद्रता में कमी आई है।
    - इससे शीतलन प्रभाव कमजोर हो गया, जिससे तापमान उच्च बना रहा।

स्रोत: **Indian Express - La Nina**

बॉम्बे ब्लड ग्रुप

संदर्भ

हाल ही में चेन्नई स्थित MIOT इंटरनेशनल के डॉक्टरों ने दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप (एचएच ब्लड ग्रुप) वाले 30 वर्षीय पुरुष पर सफलतापूर्वक क्रॉस-ब्लड किडनी प्रत्यारोपण किया।

बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में -

- **यह एक दुर्लभ रक्त समूह है, जिसकी खोज सबसे पहले 1952 में मुंबई में वाईएम भेंडे ने की थी।**
- **व्यापकता:**
    - विश्व स्तर पर 4 मिलियन में 1 (~0.0004%)
    - यूरोप में 1 मिलियन में 1
    - मुंबई में 10,000 में से 1

बॉम्बे ब्लड ग्रुप अनोखा क्यों है?

- सामान्य व्यक्तियों में H एंटीजन होता है, जो A और B रक्त एंटीजन का आधार बनता है।
- **बॉम्बे ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में जीन उत्परिवर्तन के कारण H एंटीजन की कमी होती है, जिससे A या B एंटीजन का निर्माण रुक जाता है।**
- परिणामस्वरूप, वे किसी भी ABO रक्त समूह से रक्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसमें O समूह भी शामिल है, जिसमें एच एंटीजन होता है।
- केवल एक अन्य बॉम्बे रक्त समूह दाता ही संगत आधान या अंग प्रदान कर सकता है।

स्रोत: **The Hindu - Bombay Blood Group**

विमान, इंजन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए विधेयक पेश किया गया

संदर्भ

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में '**विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण एवं प्रवर्तन विधेयक, 2025**' पेश किया है।

केप टाउन कन्वेंशन (CTC) – 2001

- CTC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो निम्नलिखित लेनदेन को मानकीकृत करती है:
  - चल संपत्ति जैसे विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर
  - ऋणदाताओं, वित्तपोषकों और पट्टादाताओं के लिए कानूनी संरक्षण
  - एयरलाइन डिफॉल्ट या दिवालियापन के दौरान परिसंपत्ति वसूली के नियम

CTC में भारत की स्थिति

- **2008 में हस्ताक्षरित लेकिन अनुसमर्थित नहीं, इसलिए प्रावधान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।**
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण एवं प्रवर्तन विधेयक, 2025 का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **भारत में CTC का कानूनी कार्यान्वयन:**
  - **धारा 3**: अभिसमय और प्रोटोकॉल भारत में कानून का बल रखेंगे।
  - नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) कार्यान्वयन के लिए नियामक प्राधिकरण होगा।
- **देनदारों (एयरलाइंस) की जिम्मेदारियां:**
  - एयरलाइनों को विमान और इंजन से संबंधित बकाया राशि का रिकार्ड रखना और प्रस्तुत करना होगा।
  - एयरलाइनों और पट्टादाताओं के बीच वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- **लेनदारों (पट्टादाताओं एवं वित्तपोषकों) के अधिकार:**
  - CTC के अंतर्गत ऋणदाता परिसंपत्ति वसूली अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।
  - कार्रवाई करने से पहले, किसी भी एयरलाइन की चूक के बारे में डीजीसीए को सूचित किया जाना चाहिए।
- **एयरलाइन दिवालियापन के दौरान विमान का संचालन:**
  - समाधान पेशेवर विमान परिसंपत्तियों को 60 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं, बशर्ते कि उपयोग और रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाए।
  - यह प्रावधान विवादास्पद है क्योंकि विमान पट्टे पर देने वाला उद्योग तत्काल परिसंपत्ति पुनः कब्ज़ा को प्राथमिकता देता है।
- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 से बहिष्करण:**
  - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना (अप्रैल 2024) के अनुसार, विमान को दिवालियापन कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

स्रोत: [The Hindu - Bill introduced to resolve disputes involving aircraft]

रुपये का अवमूल्यन और भारतीय कॉर्पोरेट पर इसका प्रभाव

संदर्भ

अप्रैल 2024 से भारतीय रुपये में 5% की गिरावट आई है, जिससे बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) की लागत बढ़ गई है।

विदेशी ऋण महंगे क्यों हो गए हैं?

- पहले, जब भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर का अंतर 5% (2020 में) था, तब विदेशी ऋण आकर्षक थे।
- अब, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती के साथ, यह लाभ गायब हो गया है।
- जिन कंपनियों ने रुपये के अवमूल्यन के खिलाफ बचाव नहीं किया, उन्हें पुनर्भुगतान बोझ में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
- उदा. यदि ECB में $500 मिलियन वाली कंपनी पर अतिरिक्त ₹2,500 करोड़ का बोझ पड़ेगा यदि रुपया 5% कमजोर हो जाता है (आधार के रूप में ₹75 प्रति अमेरिकी डॉलर मानते हुए)।

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

- **निर्यातक (रुपये के अवमूल्यन के लाभार्थी):**
    - आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे निर्यात-उन्मुख उद्योगों को लाभ होगा, क्योंकि उनका निर्यात सस्ता हो जाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- **आयातक (उच्च लागत और कम मार्जिन का सामना कर रहे हैं):**
    - तेल एवं गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे आयात-निर्भर क्षेत्रों को बढ़ती इनपुट लागत का सामना करना पड़ रहा है।
    - कुछ कंपनियां विदेशी मुद्रा जोखिम से बचने के लिए घरेलू वित्तपोषण की ओर भी रुख कर रही हैं।

स्रोत: Indian Express - Overseas loans

MDM में अंडों की फंडिंग रोकने के महाराष्ट्र के कदम से चिंताएं बढ़ गई हैं

संदर्भ

महाराष्ट्र सरकार ने मिड डे मील (MDM) योजना के तहत राज्य संचालित स्कूलों में अंडे और मोटे अनाज आधारित मीठे व्यंजनों के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि वापस लेने का फैसला किया है।

मिड डे मील (MDM) योजना के बारे में -

- **MDM को 1995 में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) के रूप में शुरू किया गया था और 2001 में इसका नाम बदलकर मिड डे मील (MDM) योजना कर दिया गया।**
- **2021 में, MDM को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) योजना में विलय कर दिया गया।**
- **MDM की मुख्य विशेषताएं:**
  - सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पका हुआ दोपहर का भोजन।
  - केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित:
    - लागत का 60% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
    - 40% राज्य सरकारों द्वारा कवर किया गया
  - भोजन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के तहत पोषण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- **पूरे भारत में MDM में अंडे को शामिल करना:**
  - अंडे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत हैं।
  - वर्तमान में 16 राज्य मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना के तहत अंडे परोसते हैं।
  - जिन राज्यों ने मध्याह्न भोजन में अंडे शामिल किए हैं, वहां बच्चों के पोषण में सुधार हुआ है और स्कूलों में उनकी उपस्थिति भी बढ़ी है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) योजना

- **लॉन्च किया गया**: सितंबर 2021
- यह पहल पिछली मध्याह्न भोजन योजना की जगह लेती है और 1.31 ट्रिलियन रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक चलने के लिए तैयार है।
- **लक्ष्य**: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।
- **उद्देश्य:**
  - **कुपोषण को दूर करना**: इसका उद्देश्य बच्चों में बौनापन, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन की समस्या को कम करना है।
  - **शैक्षिक उपस्थिति में सुधार**: पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर वंचित बच्चों के बीच नियमित स्कूल उपस्थिति को प्रोत्साहित करना।
  - **समग्र दृष्टिकोण:** यह दृष्टिकोण बच्चे के जीवन के प्रथम 1,000 दिनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जीवनचक्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, तथा गर्भावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान पर्याप्त पोषण पर जोर देता है।

स्रोत: The Hindu - MDM

समाचार संक्षेप में

गैस्ट्रोपेरेसिस (Gastroparesis)

- वजन घटाने वाली दवाओं के अनियंत्रित उपयोग और अधिक मात्रा के कारण गैस्ट्रोपेरेसिस हो रहा है।

गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में -

- **गैस्ट्रोपेरेसिस एक चिकित्सीय स्थिति है जहां पेट की मांसपेशियां आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाती हैं, जिससे गैस्ट्रिक खाली होने में देरी होती है।**
- इसका मतलब है कि भोजन सामान्य से अधिक समय तक पेट में रहता है, जिससे बिना किसी शारीरिक रुकावट के पाचन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
- गैस्ट्रोपेरेसिस वेगस तंत्रिका के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है, जो पेट की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है।
- **कारण:**
    - **चिकित्सा स्थितियाँ:** मधुमेह (सबसे आम कारण), तंत्रिका संबंधी विकार और संयोजी ऊतक विकार आदि।
    - **चिकित्सा उपचार:** वजन घटाने वाली दवाएं (सेमाग्लूटाइड, टिर्जेपेटाइड), ओपिओइड और अवसादरोधी दवाएं आदि।

स्रोत: **Indian Express - Gut concerns**

संपादकीय सारांश

वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में भारत

संदर्भ

भारत 21वीं सदी में वैश्विक दक्षिण को आकार देने में तेजी से केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है, विशेष रूप से **वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन** और **G-20 की अध्यक्षता** जैसी पहलों के माध्यम से।

वैश्विक दक्षिण के बारे में -

- **यह विकासशील और अल्पविकसित देशों को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में स्थित हैं।**
- इन देशों की ऐतिहासिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक विशेषताएं समान हैं, जो अक्सर औपनिवेशिक इतिहास, आर्थिक निर्भरता और विकासात्मक चुनौतियों से जुड़ी होती हैं।

वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच अंतर

पहलू	वैश्विक उत्तर (विकसित)	वैश्विक दक्षिण (विकासशील/अल्पविकसित)
अर्थव्यवस्था	उन्नत, औद्योगिक	विकासशील, कृषि और औद्योगिकीकरण
जीवन स्तर	उच्च मानव विकास सूचकांक, निम्न गरीबी	निम्न मानव विकास सूचकांक, उच्च गरीबी दर
तकनीकी	नवप्रवर्तन केन्द्र, उच्च अनुसंधान एवं विकास व्यय	प्रौद्योगिकी का कम उपयोग, आयात पर निर्भरता
शासन	स्थिर लोकतंत्र और मजबूत संस्थाएं	राजनीतिक अस्थिरता, कमज़ोर संस्थाएँ
वैश्विक शक्ति	विश्व अर्थव्यवस्था और संस्थाओं पर हावी है	वैश्विक निर्णय लेने में सीमित प्रभाव

वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच एक कड़ी के रूप में भारत की स्थिति

भारत निम्नलिखित तरीकों से स्वयं को वैश्विक दक्षिण के नेता और प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर रहा है:

- **उत्तर-प्रभुत्व वाले मंचों (G20, यूएन, डब्ल्यूटीओ) पर वैश्विक दक्षिण चिंताओं की वकालत करना।**
    - उदाहरण के लिए, भारत ने G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया, जिससे वैश्विक निर्णय लेने में ग्लोबल साउथ का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।
- **विविध व्यापार और एफटीए के माध्यम से दोनों गुटों के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखना।**
    - भारत ने एक प्रमुख वैश्विक दक्षिण अर्थव्यवस्था संयुक्त अरब अमीरात (2022) के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जबकि साथ ही यूरोपीय संघ के साथ एक एफटीए पर बातचीत की, जिससे दोनों ब्लॉकों के साथ संतुलित व्यापार संबंध सुनिश्चित हुए।
- **विकसित और विकासशील दोनों देशों के साथ प्रौद्योगिकी और विकास विशेषज्ञता साझा करना।**
    - उदाहरण के लिए, भारत ने फ्रांस (ग्लोबल नॉर्थ) और श्रीलंका और मॉरीशस (ग्लोबल साउथ) को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) तकनीक का निर्यात किया, जो दोनों के लिए एक तकनीकी प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका प्रदर्शित करता है।
- **किसी भी पक्ष को अलग किए बिना रणनीतिक गठबंधन (क्वाड, ब्रिक्स, एनएएम) को संतुलित करना।**
    - उदाहरण के लिए, क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन) का हिस्सा रहते हुए, भारत ने अपनी संतुलित कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत की वकालत करते हुए तेल आयात जारी रखकर रूस (ब्रिक्स भागीदार) के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा।

भारत के लिए चुनौतियाँ

- **विविध हित:** वैश्विक दक्षिण एक विविध क्षेत्र है, जिसमें भिन्न-भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित हैं, जिसके कारण एकीकृत रुख अपनाना कठिन हो जाता है।
- **चीन का प्रभुत्व:** अफ्रीका और एशिया में भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कई विकासशील देशों के चीन के साथ गहरे आर्थिक संबंध हैं।
- **कूटनीतिक संतुलन:** वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **वैश्विक विकास के लिए समर्पित संस्थाओं का अभाव:** चीन के एआईआईबी (एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक) या पश्चिमी नेतृत्व वाले विश्व बैंक के विपरीत, भारत में वैश्विक विकास वित्तपोषण संस्थान का अभाव है।
- **अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक भागीदारी:** भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) जैसी भारत की पहल अल्पकालिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है, लेकिन संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए दीर्घकालिक साझेदारी का अभाव है।

भारत को उठाने होंगे ये कदम

- **समतामूलक विकास सहयोग:** भारत को विकास सहयोग के एक वैकल्पिक प्रतिमान के लिए अपने आह्वान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जो केवल ऊपर से नीचे तक सीमित न हो।
    - भारत को अपनी घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य वैश्विक दक्षिण देशों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- **मानव संसाधन क्षमता निर्माण:** भारत को मानव संसाधन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से भविष्य की स्थिरता चुनौतियों से निपटने के लिए।
- **प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान:** भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु और ऊर्जा समाधान के साथ-साथ जल और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- **मजबूत प्रणालियां स्थापित करना**: भारत को साझेदार देशों के साथ काम करने के लिए मानदंड, मानक और प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपनी स्वयं की मजबूत घरेलू प्रणालियां बनानी चाहिए।
- **समावेशी वैश्विक शासन को बढ़ावा देना:** भारत को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में परिवर्तन को सुगम बनाना चाहिए तथा घरेलू क्षमता का निर्माण करना चाहिए।

स्रोत: **The Hindu: India as a bridge between Global North and South**
India Briefing: Tracking Countries That Accept India's UPI Digital Payment System

भारत, फ्रांस और एआई

संदर्भ

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है।

एआई शिखर सम्मेलन के उद्देश्य -

- **पिछले एआई शिखर सम्मेलनों पर आधारित**: यूके (ब्लेचली पार्क) और दक्षिण कोरिया (सियोल) के बाद, पेरिस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई शासन और सहयोग को आगे बढ़ाना है।
- **सुरक्षित और उत्तरदायी एआई सुनिश्चित करना**: एआई के सिद्धांतों को सुदृढ़ करना जो मानव-केंद्रित, भरोसेमंद और समावेशी हों।
- **पांच मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करना:**
    - **सार्वजनिक हित एआई**: सामाजिक लाभ के लिए एआई का उपयोग करना।
    - **कार्य का भविष्य**: नौकरियों पर एआई के प्रभाव को संबोधित करना।
    - **नवाचार और संस्कृति**: एआई-संचालित नवाचार को प्रोत्साहित करना।
    - **एआई में विश्वास**: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
    - **वैश्विक एआई शासन**: संयुक्त राष्ट्र, ओईसीडी, जीपीएआई, जी7 और जी20 के माध्यम से प्रयासों का समन्वय करना।
- **वैश्विक दक्षिण के लिए एआई को बढ़ावा देना**: यह सुनिश्चित करना कि एआई के लाभ विकासशील देशों तक पहुंच सकें।
- **ठोस पहल शुरू करना**: एआई विनियमन, नैतिकता और समावेशिता को मजबूत करना।

एआई शिखर सम्मेलन में भारत का फोकस

- **इंडियाएआई मिशन**: "भारत में एआई बनाना, भारत के लिए एआई बनाना" को बढ़ावा देने वाली ₹10,371 करोड़ की पहल।
- **जीपीएआई नेतृत्व**: जीपीएआई के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, भारत का लक्ष्य इसे वैश्विक एआई गवर्नेंस केंद्र बनाना है।
- **एआई विभाजन को पाटना**: सभी देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए एआई पहुंच सुनिश्चित करना।
- **वैश्विक दक्षिण प्राथमिकताएँ**: एआई नीति निर्माण में विकासशील देशों की वकालत करना।
- **समावेशी एआई शासन**: नैतिकता, पारदर्शिता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एआई मानकों का विकास करना।

एआई शिखर सम्मेलन में भारत को सह-अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के पीछे कारण

- **भारत के बढ़ते एआई नेतृत्व की मान्यता:** भारत एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जिसमें इंडियाएआई मिशन और राष्ट्रीय एआई रणनीति जैसी पहल शामिल हैं।
    - एआई पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) के संस्थापक सदस्य और 2024 के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में , भारत सक्रिय रूप से वैश्विक एआई शासन को आकार दे रहा है।
- **फ्रांस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी:** भारत और फ्रांस रक्षा, जलवायु, अंतरिक्ष और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मजबूत रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक साझेदारी साझा करते हैं।
    - उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी वैश्विक पहलों का सह-शुभारंभ किया है।

- **वैश्विक एआई शक्ति गतिशीलता को संतुलित करना:** वैश्विक एआई परिदृश्य पर अमेरिका और चीन का प्रभुत्व है, जिससे एक तटस्थ, लोकतांत्रिक और समावेशी एआई शासन मॉडल की आवश्यकता पैदा हो रही है।
    - भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और डिजिटल समावेशिता दृष्टिकोण के साथ एक वैकल्पिक एआई विकास मॉडल प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर दोनों के साथ प्रतिध्वनित होता है।
- **वैश्विक दक्षिण के लिए एआई पर भारत का फोकस:** भारत एआई को लोकतांत्रिक बनाने और विकसित और विकासशील देशों के बीच एआई विभाजन को पाटने की वकालत करता है।

भारत-फ्रांस संबंध

सामरिक एवं रक्षा सहयोग

- **रक्षा साझेदारी**: सहयोग की समीक्षा के लिए वार्षिक रक्षा वार्ता (रक्षा मंत्री स्तर) और रक्षा सहयोग पर उच्च समिति (सचिव स्तर)।
- **प्रमुख रक्षा सौदे और परियोजनाएं:**
  - **राफेल जेट:** भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, तथा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों के लिए बातचीत चल रही है।
  - **पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना:** भारत नौसेना के लिए तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीद रहा है।
  - **लड़ाकू जेट इंजनों का संयुक्त विकास:** लड़ाकू विमानों के लिए अगली पीढ़ी के इंजन विकसित करने पर सहयोग।
  - **पेरिस में डीआरडीओ कार्यालय:** प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए 2023 में स्थापित किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग

- **एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी:** फ्रांस भारत के **इंडियाएआई मिशन** और डिजिटल परिवर्तन पहल का समर्थन करता है।
- **भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026:** उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- **साइबर सुरक्षा सहयोग:** डेटा संरक्षण और एआई शासन में सहयोग को मजबूत करना।

आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध

- **भारत-फ्रांस सीईओ फोरम:** ऊर्जा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** हिंद-प्रशांत व्यापार संपर्क को मजबूत करना और चीन पर निर्भरता कम करना।
- **सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा** (सौर एवं परमाणु)।
  - **महत्वपूर्ण खनिज** (बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए)।
  - **फार्मास्यूटिकल्स एवं हेल्थकेयर** (संयुक्त अनुसंधान एवं विकास)।
  - **उन्नत विनिर्माण और स्टार्टअप** (नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र)।

अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा सहयोग

- **अंतरिक्ष सहयोग:** इसरो और सीएनईएस (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी) अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं।
- **परमाणु ऊर्जा:**
  - **असैन्य परमाणु समझौता:** भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी पर सहयोग।
  - **अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर):** भारत फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी संलयन ऊर्जा परियोजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

लोगों से लोगों का संपर्क एवं कूटनीतिक जुड़ाव

- **मार्सिले में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास:** भारतीय प्रवासियों के लिए राजनयिक उपस्थिति और सेवाओं को मजबूत करना।
- **उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान:** छात्र विनिमय कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय सहयोग का विस्तार करना।
- **संचार केन्द्र के रूप में मार्सिले:**
  - समुद्री इंटरनेट केबलों के लिए एक प्रमुख वैश्विक नोड है, जो यूरोप को एशिया और अफ्रीका से

जोड़ता है।
    - भारत और फ्रांस इस क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

हिंद-प्रशांत एवं वैश्विक सहयोग

- **भारत-फ्रांस त्रिकोणीय विकास सहयोग:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के तीसरे देशों में जलवायु और सतत विकास लक्ष्य केंद्रित परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक नई पहल।
- **जलवायु कार्रवाई एवं स्थिरता:**
    - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):** वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में शुरू किया गया।
    - **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई):** जलवायु प्रतिरोधी अवसंरचना में संयुक्त प्रयास।
- **समुद्री सुरक्षा:** हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और रणनीतिक सहयोग।

स्रोत: **Indian Express: India, France and AI**